::आदेश::

इस कार्यालय के पत्र सं0 103/11-ए0एल0सी0-2(2020-2021) दिनांक 13.09.2021 के द्वारा सौंग बांध परियोजना हेतु अधिग्रहित वन भूमि के सापेक्ष वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने की संस्तुति करते हुए आयुक्त महोदय गढ़वाल मण्डल पौड़ी को प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में आयुक्त महोदय,गढ़वाल मण्डल पौड़ी के आदेश सं0 68/28-4(2)(2020-21) दिनांक 08.10.2021 के द्वारा प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना हेतु अधिग्रहित वन भूमि के सापेक्ष वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सौंग बांध परियोजना हेतु अधिग्रहित वन भूमि के सापेक्ष वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत की गई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भुटगांव	तालूर	27	01	51.430है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड
			02मि0	27.570है0	
			185मि0	48.600है0	
			योग	127.6है0	
खासकोटी	इडवालस्यू	02	99	9.398है0	
			184	3.946है0	
			186मि0	5.156है0	
			योग	18.5है0	
खसहौसी	इडवालस्यूं	01	47	1.524है0	
			54	1.539है0	
			199	2.903है0	
			206	2.803है0	
			योग	8.769है0	
सणब	सिलवाड़	03	1535	3.549है0	
			1873	6.424है0	
			1993	9.919है0	
			2011मि0	7.400है0	
			योग	27.292है0	
मौगी	सिलवाड	16	1084	9.533है0	
			1085मि0	14.767है0	
			योग	24.298है0	
टिगरी चक	इडवालस्यूं	04	07	4.573है0	
			134मि0	24.427है0	
			योग	29.00है0	
जैद्वार तल्ला	सिलवाड़	09	1783मि0	20.54है0	
			सम्पूर्ण योग	256.00है0	

प्रस्तावित उपरोक्त ग्राम में सौंग बांध परियोजना के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या-2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

क्रमशः-2

Scanned with ACE Scanner

अत शासनादेश संख्या:-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी/तहसीलदार नैनबाग के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा 256.00है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में हस्तांतरित की जाती है। तहसीलदार नैनबाग तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या-249/XI-10(2020-21)दिनांक,नई टिहरी, जून 06 2022.

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव,राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
4- नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5- प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6- अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना(पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून।
7- उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8- तहसीलदार नैनबाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Scanned with ACE Scanner